प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 09.04.2026

थाना मसूरी पुलिस/ एसटीएफ आगरा टीम द्वारा SEA PRIME CAPITAL कम्पनी के माध्यम से एमटी-5 एप लांच कर आम लोगों को गुमराह करके लालच दिखाकर पैसे लगवाकर करोडों रुपयों की धोखाधडी करने वाले शातिर किस्म के अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 06.04.2026 को वादी श्री पंकज कुमार पुत्र श्री राम करन शर्मा निवासी- गंगापुरम थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद के द्वारा दी गई तहरीर कि एजूकेंडल कम्पनी के सदस्य 1. जतिन्द्र राम पुत्र जयचन्द्र निवासी रामपुर कम्बोयान तहसील जगाधरी जनपद यमुनानगर हरियाणा 2. गीता हजारिका पत्नी सुन्दर चौहान निवासी-ओम सांई अपार्टमेंट बी-52 गली न०-09 हिंडन विहार सेक्टर-49 नोएडा गौतमबुद्धनगर 3. मोहित राना 4 नवप्रीत सिंह 5. राजेश सैनी 6. आकाश बंसल पुत्र नीरज बंसल 7.शैलेन्द्र शाह 8. हितेश राठौर 9. गौरव सिंह निवासी यमुनानगर हरियाणा द्वारा क्रिप्टो करेंसी / यूएसडीटी आदि में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने के लिए विज्ञापन कर धोखाधडी कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर वादी से 55 लाख रुपये व अन्य व्यक्ति अमित नागर पुत्र सतपाल नागर निवासी सौरभ विहार जैतपुर एक्स० बदरपुर नई दिल्ली के साथ लगभग 02 करोड रुपये का फर्जीवाडा करने के सम्बन्ध में थाना मसूरी पर अभियुक्तगण के विरूद्ध सुसंगत धारा 318(4)/338/336(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात् थाना मसूरी पुलिस व एसटीएफ आगरा की संयुक्त कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में नामित/वांछित अभियुक्त जतिन्द्र राम पुत्र जयचन्द निवासी रामपुर कम्बोयान थाना बिलासपुर जिला यमुनानगर हरियाणा उम्र करीब 41 वर्ष को कोलाबा रेस्टोरेन्ट दिल्ली रोड सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं स्नातक पास हूँ व 7-8 साल से यह काम कर रहा हूँ। थाना सैक्टर -17 जिला यमुनानगर हरियाणा में मकान किराये पर लेकर रहता हूँ। मैंने वर्ष 2016 में ऑनलाइन सोशल मीडिया पर करीब 02 साल तक ट्रेडिंग सीखकर अमीर बनने का सपना संजोया था। वर्ष 2022 में मैंने ऑनलाइन SEA PRIME CAPITAL कम्पनी से मेटा ट्रेडर प्लेटफार्म से फ्रैंचाइजी ले ली जिसमें मैं प्रतिमाह 1000/- डालर (इंडियन 17 हजार रूपया) अपने क्रिप्टो करेंसी से देता था। मैंने देहरादून ,नोएडा ,मुजफ्फरनगर, रामनगर, मसूरी उत्तराखण्ड, अम्बाला फरीदाबाद, हरिद्वार ,ऋषिकेष आदि में बडे स्तर पर करने लगा। मैं लोगों को गुमराहा करता था लालच दिखाता था जिससे कि वह लोग प्रभावित होकर मुझसे जुडने लगें। मैंने व मेरी टीम ने करीब 20 हजार लोगों को जोडकर मेटा ट्रेडर्स पर करीब 30 से 32 हजार ट्रेडिंग अकाउण्ट खोले ,सभी लोगो के अकाउण्ट का एक्सेस मेरे पास रहता है। मैं सभी अकाउण्ट देखता हूँ। वर्तमान में इन सभी अकाउण्ट में मिलाकर 700 से 800 करोड रूपये का निवेश करा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

अभियुक्त जतिन्द्र राम पुत्र जयचन्द निवासी रामपुर कम्बोयान थाना बिलासपुर जिला यमुनानगर हरियाणा उम्र करीब 41 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस/ एसटीएफ आगरा टीम।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.04.2026 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त आकाश द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष के साथ गलत काम करना तथा शिकायत करने पर अभियुक्त के रिश्तेदार द्वारा वादी की बेटी के साथ गाली गलौच कर मारपीट करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल सुसंगत धारा 64(1),115(2),352 बीएनएस व ¾(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 09.04.2026 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाला अभियुक्त आकाश पुत्र सतपाल निवासी कस्बा व थाना भौंरा कला जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरा परिवार व पीडिता का परिवार एक ही स्थान पर काम करते हैं। इसलिए पहले से ही पीडिता से मेरी जान पहचान व बातचीत थी। दिनांक 03.04.2026 को मैनें मौका देखकर पीडिता को अपने पास बुलाया तथा मौका पाकर गलत काम कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आकाश पुत्र सतपाल निवासी कस्बा व थाना भौंरा कला जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 22 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्धउपरोक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना निवाडी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ को बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 39.84 ग्राम अवैध स्मैक तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 09.04.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ को बेचने वाला अभियुक्त रंजीत पुत्र कालीचरण हाल निवासी-भागमल चौक लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद व मूल निवासी-ककोड जनपद बुलंदशहर उम्र करीब 33 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 39.84 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा– 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं दिल्ली से चोरी छिपे अवैध स्मैक खरीद कर लाता हूँ तथा अधिक पैसे कमाने के लिये इसी मोटरसाइकिल से घूम-घूमकर मैं राह चलते व्यक्तियों को छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेच देता हूँ। आज मैं स्मैक बेचने के लिये ही जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रंजीत पुत्र कालीचरण हाल निवासी-भागमल चौक लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद व मूल निवासी-ककोड जनपद बुलंद शहर उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 39.84 ग्राम अवैध स्मैक तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.04.2026 को वादिया ने तहरीर दी कि अभियुक्त फैय्याज पुत्र वहीद निवासी ग्राम रटौल थाना खेखडा जनपद बागपत हाल पता झीलवाली मस्जिद के पास थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष के द्वारा वादिया के पति आसिफ से 3,80,000 रुपये उधार माँग ले लेना व बार बार माँगने के बाद भी न देना व धमकी देना जिस कारण वादिया के पति द्वारा परेशान होकर फांसी लगा कर अपनी जान दे देना व आत्महत्या से पहले साक्ष्य के रूप में सुसाइड नोट व वीडियो बना लेना। उक्त सूचना पर तत्काल थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा 108/351(3)/316(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 09.04.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फैय्याज पुत्र वहीद निवासी ग्राम रटौल थाना खेखडा जनपद बागपत हाल पता झीलवाली मस्जिद के पास थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त फैय्याज उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि वादिया के पति आसिफ ने अपना मकान बेचा था, मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने वादिया के पति से 3,80,000/- रूपये उधार लिये थे तथा कुछ पैसे ऑनलाइन एप से लोन कराकर लिये थे। मैंने उधार लिये पैसों को वापस नहीं किया और उसके बार बार माँगने पर मैंने उससे कहा कि मैं पैसा नही दूँगा, तुमसे जो होता हो वह मेरा कर लो। जिसके कारण वादिया के पति ने यह घटना कारित कर ली।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

फैय्याज पुत्र वहीद निवासी ग्राम रटौल थाना खेखडा जनपद बागपत हाल पता झीलवाली मस्जिद के पास थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ बेचने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 47 पुडिया अवैध गांजा कुल वजन 200 ग्राम बरामद ।

आज दिनांक 09.04.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ बेचने वाली अभियुक्ता अल्का शर्मा पत्नी स्व0 संजय शर्मा निवासी गंगा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 47 पुडिया अवैध गांजा कुल वजन 200 ग्राम बरामद हुआ । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा – 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं गांजा की छोटी -छोटी पुड़िया बनाकर आसपास के क्षेत्रों में लोगों को बेचकर मुनाफा कमा कर अपने शौक पूरे करती हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

अल्का शर्मा पत्नी स्व0 संजय शर्मा निवासी गंगा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद,उम्र करीब 40 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्ता के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा नाबालिग को भगा ले जाने व दुष्कर्म करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 23.11.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त सुमित नामक व्यक्ति द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बंध में अन्तर्गत धारा 137(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । जिसके क्रम में दिनांक 07.04.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा वादिया की पुत्री/पीड़िता को कौशाम्बी बस स्टैण्ड के पास से बरामद किया गया था तथा अभियुक्त सुमित वहाँ के भाग गया था । पीडिता के बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2)M बीएनएस व 5(J)2, L/6 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी ।आज दिनांक 09.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सुमित पुत्र वीरु निवासी- बूदा भाई के मकान में ग्राम भौवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल पता ग्राम औना पतारा थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश उम्र करीब 21 वर्ष को आनन्द बिहार बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये के अभियुक्त पीड़िता को पहले से जानता था व दिनांक 16.11.2025 को भौवापुर से अपने साथ ले गया था इसके बाद दोनों साथ लखनऊ में रहे थे । जहाँ अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे । दिनांक 07.04.2026 को अभियुक्त व पीडिता दोनो पीडिता की मां से मिलने आये थे दोनों कौशाम्बी बस स्टैण्ड पर थे अभियुक्त पीडिता को बस स्टैण्ड पर खड़ी करके उसके खाने के लिए कुछ सामान लेने गया था जब अभियुक्त खाना लेकर वापस आया तो अभियुक्त पुलिस को पीडिता के पास खड़ा हुआ

देखकर वहाँ से भाग गया था। अभियुक्त उपरोक्त आज दिल्ली में कहीं जाने की फिराक में था, जिसे मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुमित पुत्र वीरु निवासी- बूदा भाई के मकान में ग्राम भौवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल पता ग्राम औना पतारा थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूध्द उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान स्नैचिंग की असफल कोशिश व महिला को घायल करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद।

घटना का विवरणः- दिनांक 06.04.2026 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी आशी डागर पुत्री विजय कुमार निवासी ग्राम निस्तौली थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 04.04.2026 को मैं अपने ऑफिस से अपने घर जा रही थी कि रास्ते मे ऑटो का वेट करते समय फोन पर बात कर रही थी तभी अज्ञात व्यक्ति आया और मेरे फोन छीनने की कोशिश की छिना झपटी मे उसने नूकीली चीज से मुझ पर वार किया जिससे मेरे हाथ मे चोट लग गयी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर धारा 304(2)/62 BNS व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त क्रम मे दिनांक 09.04.2026 को चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त आर्यन पुत्र अनीष निवासी म0न0 185 सुन्दर नगरी एमसीडी फ्लैट के ब्लॉक 10 बैडा थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष को ताहिरपुर कट लकडी मार्केट के पास शालीमार गार्डन से 01 चाकू के गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण :- अभियुक्त आर्यन उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब दिनांक 04/04/2026 को मेरे पास पैसे नही थे तो मैने देखा की एक लड़की ताहिरपुर कट से पैदल पैदल आ रही थी व फोन पर बात कर रही थी, तो मैने सोचा की इसका फोन छीन लूँ मैने उस लड़की के फोन पर झपट्टा मारा पर लड़की ने फोन को मजबूती से पकड़ रक्खा था, तो मैं नही छीन पाया और उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और चिल्लाने लगी उससे बचने के लिये मैने अपनी कमर से एक चाकू निकाला और उसे डराने के लिये उस पर वार किया तो चाकू उसके हाथ में लग गया जिसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया और मै वहाँ से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आर्यन पुत्र अनीष निवासी म0न0 185 सुन्दर नगरी एमसीडी फ्लैट के ब्लाँक 10 बैडा थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त आर्यन उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दनगरी पर छिनैती का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

घटना मे प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

घटना का विवरणः- दिनांक 08.04.2026 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी श्री मो0 सलमान पुत्र मो0 सलीम निवासी B-113 शालीमार गार्डन मैन थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 08.04.2026 को मैने अपनी स्कूटी अपने घर के बाहर खडी की थी। रात मे अज्ञात चोर द्वारा मेरी स्कूटी चोरी कर ली गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त क्रम मे दिनांक 09.04.2026 की रात्रि को चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त शाने आलम पुत्र यासीन निवासी मकान नम्बर एच 115 शहीदनगर चिकम्बरपुर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को गन्दे नाले के लोहे वाले पुल शालीमार गार्डन से चोरी की 01 स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर धारा 317 (2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण :- अभियुक्त शाने आलम उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब मैं नशे का आदी हूँ व नशे के लिए चोरी करता हूँ। रात यह स्कूटी मैने शालीमार गार्डन मैन से चोरी की थी व इसे धकेल कर लाकर यही पास में ही छिपा कर खडी कर दी थी मैने वह स्कूटी जो चुरीयी थी आपको बरामद करा दी है। साहब गलती हो गयी माँफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाने आलम पुत्र यासीन निवासी मकान नम्बर एच 115 शहीदनगर चिकम्बरपुर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त सुहेल उपरौक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।